ELECTRICAL OVERSEER/SUB-INSPECTOR

50

59

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 152

No. 164] DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934 [N.C.T.D. No. 152

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2012

सं. फा. 1/31/711/एलसी/स्था./2011/3171.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :—

1. कार्यालय श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में इलैक्ट्रीकल सर्वेक्षक/उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति और आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, तथा

2. दिनांक 31 जुलाई, 1969 की अधिसूचना संख्या फाइल 2(28)/67-सेवाएं-II द्वारा अधिसूचित कार्यालय श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में इलैक्ट्रीकल सर्वेक्षक/उप-निरीक्षक के पद के भर्ती नियम निरस्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पीयूष शर्मा, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–1 (संशोधित)

कार्यालय श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में इलैक्ट्रीकल सर्वेक्षक/उप–निरीक्षक के पद के लिये भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	इलैक्ट्रीकल सर्वेक्षक/उप–निरीक्षक
2.	पदों की संख्या	:	18 (2011)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड–1 (5200–20200/–रुपये) ग्रेड पे–2800/–रुपये सहित
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 तथा 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये शिथिलनीय) टीपः आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारो के आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिजीवन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :– (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा इसके समकक्ष से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

			वांछनीय : सरकारी विभाग या प्रसिद्ध कन्सर्न (संस्था) में इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग के अभ्यास में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ)
13.	वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।		लागू नहीं

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2012

No. F. 1/31/711/LC/Estt./2011/3171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to :—

(i) make the rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Electrical Overseer/Sub-Inspector in the office of the Labour Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, and

(ii) to cancel the recruitment rules for the post of Electrical Overseer/Sub-Inspector in the office of the Labour Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, notified by Notification No. F.2(28)/67-Services-II dated 31st July, 1969.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PIYUSH SHARMA, Jt. Secy.

ANNEXURE-I (REVISED)

Recruitment Rules for the post of Electrical Overseer/Sub-Inspector in the office of Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi, Delhi

1. Name of Post	: Electrical Overseer/Sub-Inspector
2. No. of Posts	: 18 (2011) * *Subject to variation dependent on workload
3. Classification	: General Central Service, Group-C Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	: PB-1 [Rs. 5200-20200] with Grade Pay Rs.2800/-
5. Whether selection or non-selection post	: Not Applicable
6. Age limit for direct recruits	: Between 18 and 27 years. (Relaxation for Government servant and SC/ST/OBC candidates as per orders/instructions issued by the Government of India from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizaram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti districts and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh & Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep.)

7. Educational & other qualifications required for direct recruits	: **Essential:** (i) Diploma in Electrical Engineering from a recognized University or College or its equivalent. Desirable: Practical experience of one year in the practice of Electrical Engineering in a Govt. Department or in a concern of repute.
8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	: Not Applicable
9. Period of probation	: Two years.
10. Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	: By direct recruitment
11. In case of rectt. by promotion / Deputation, grades from which promotion/deputation to be made	: Not Applicable
12. If a DPC exists, what is its composition	: Group-C DPC (for confirmation).
13. Circumstances in which UPSC to be Consulted in making recruitment	: Not Applicable

3760 DG/12-2

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2012

सं. फा. 14(9)/एलए-2012/Cons2law/148.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की दिनांक 21 सितम्बर, 2012 को मिली सहमति के पश्चात् दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है :—

"दिल्ली मनोरंजन और बाजी कर (संशोधन) अधिनियम, 2012
(2012 का दिल्ली अधिनियम 12)

(6 सितम्बर, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[21 सितम्बर, 2012]

दिल्ली मनोरंजन और बाजी कर अधिनियम 1996 में संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1 **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :—** (1) इस अधिनियम को दिल्ली मनोरंजन एवं बाजी कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) यह पहली अप्रैल, 1998 से प्रवृत्त मान लिया जायेगा जिस तिथि को दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 प्रवृत्त हुआ।

2 **धारा 2 में संशोधन :—** दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 की धारा 2 के खंड (ड) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण–1 : किसी ऐसे मनोरंजन के संबंध में लिया गया चन्दा, प्राप्त अंशदान या एकत्रित दान जहां प्रवेश या आंशिक रूप से टिकटो/आमंत्रण से होता है जिस पर प्रवेश की राशि या टिकट की घटी दर का उल्लेख हो उसे प्रवेश के लिए भुगतान माना जायेगा।

स्पष्टीकरण–2 : किसी प्रायोजक के उत्पाद/ब्रांड नाम या अन्यथा रूप में विज्ञापन के स्थान पर किसी मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजक को भुगतान की गई कोई प्रायोजक राशि या पूर्ति किए गए समान या प्रदाय की गई सेवाओं का मूल्य या उपलब्ध कराए गए लाभों को प्रवेश के लिये किया गया भुगतान माना जायेगा।

तरुन सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2012

No. F. 14(9)/LA-2012/Cons2law/148.—The following Act passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 21st September, 2012 and is hereby published for general information :—

"THE DELHI ENTERTAINMENT AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 2012 (DELHI ACT 12 OF 2012)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 06th September, 2012)

(21st September, 2012)

An Act to further amend the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement.** – (1) This Act may be called The Delhi Entertainment and Betting Tax (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April,1998, the date from which the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 came into force.

2. **Amendment of section 2.**- In the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996, in section 2, in clause (m) for the explanation, the following explanations shall be substituted, namely:-

"Explanation 1: Any subscription raised, contribution received or donation collected in connection with an entertainment, where admission is partly or entirely by tickets/invitation specifying the amount of admission or reduced rate of ticket shall be deemed to be payment for admission;

Explanation 2: Any sponsorship amount paid or value of goods supplied or services rendered or benefits provided to the organizer of an entertainment programme in lieu of advertisement of sponsor's product/brand name or otherwise shall be deemed to be payment for admission.".

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2012

सं. फा. 7/453/नीति/वैट/2012/712-22.—मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 19 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश करता हूँ कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 31 दिसम्बर, 2012 तक, ऐसे व्यापारियों को, जो कि विभाग के सम्मुख पंजीकरण के लिये आवेदन करते हैं, कोई प्रतिभूति प्रस्तुत करनी आवश्यक नहीं होगी ।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त (मूल्य संवर्धित कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(Policy Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2012

No. F. 7(453)/Policy/VAT/2012/712-22.—I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) of Section 19 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 hereby direct that no security would be required to be furnished by such dealers, who apply for registration with the department up to the 31st of December, 2012 from the date of issue of this notification.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.